

Form No-|||

अज अदालत

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम ..... रायसिंहनगर

किस्म गुकदमा 136 एल आर एक्ट

बुप कि. को. 2583

बनाम सरकार

नम्बर 221 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 / 797

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जौं इस हुकम की तामील में जारी किए
31/11/21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>मन्जीत सिंह</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/594 दिनांक 31/11/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>मुजफ्फर</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>2583</u> की जमाबंदी सम्वत् <u>2025 के लक्ष्मी</u> के खाता सं. <u>2</u> में <u>बुप कि. को. 2583</u> <u>मुजफ्फर सिटि थ-56 जोतेडा</u></p> <p>के स्थान पर <u>बुप कि. को. 2583</u> <u>मुजफ्फर सिटि थ-56 जोतेडा</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>मन्जीत सिंह</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>2583</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् <u>2025 के लक्ष्मी</u> के खाता सं. <u>2</u> में <u>बुप कि. को. 2583</u> <u>मुजफ्फर सिटि थ-56 जोतेडा</u> के स्थान पर <u>बुप कि. को. 2583</u> <u>मुजफ्फर सिटि थ-56 जोतेडा</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर  
उम्र-समंका

